भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157223

::दान-पत्र::

सरकारी मालियत- 152,000/=रु0 स्टाम्प शुल्क-8,100/-रु0 शुल्क-[05]

13 [illegible] 2014

आज दिनांक-19-11-2014(पंद्रह) स्थान चन्दौली में यह दान विलेख-पत्र श्री [illegible] सचिव राजेन्द्रसिंह जी विद्यालय निकुम्भ कर्पूर रक्षा तहसील चन्दौली जनपद चन्दौली, जिसको इस दान विलेख में आगे-"प्रथम पक्ष/दानकर्ता-" कहा गया है, तथा -"श्रीमती [illegible] सुपुत्र [illegible], पुत्र-प्रधान कार्यालय-मालवीयनगर रोड, चन्दौली तहसील चन्दौली जनपद चन्दौली द्वारा-पत्नि-श्री [illegible] पुत्री [illegible] निवासी ग्राम-कर्पूर रक्षा तहसील चन्दौली जनपद चन्दौली, जिसको इस दान विलेख में आगे-"दान ग्रहीता/ द्वितीय पक्ष-" कहा गया है, के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया गया।

[illegible]-प्रथम दान विलेख में वर्णित सीलिंग सर्टिफिकेट[illegible] में उल्लिखित आराजी [illegible] जिला ग्राम-[illegible] तहसील चन्दौली जनपद को पूर्ण मालिक काबिज व दखल हूँ जो हर प्रकार के भार, रहन व बैनामा आदि से पूर्णतया मुक्त व स्वच्छ है तथा विक्रेता किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार विधिवत रूप से मुझ [illegible] को प्राप्त हैं।

[हस्ताक्षर प्रथम पक्ष] [हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष]

Scanned by CamScanner

19/11/14

दानपत्र — 1850.00/-

1800 / 20 / 1640 / 200

19-11-14

19-11-14

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 455077

||2||

द्वितीय पक्ष-उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य, एवं अपने समाज की स्थापना के लिए जिन जिन कार्यों व प्रयास करने की आवश्यकता होती है, समाज में वह सभी कार्य करवाने। मैं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के उद्देश्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु अपनी स्वेच्छा से द्वितीय पक्षको तत्परिवर्तित में लौटाने परिशिष्ट [क] वर्णित सम्पत्ति दानस्वरूप देना चाहती हूँ ।

अतः मैं इस विलेख के द्वारा यह तहरीर कराती देती हूँ कि मैंने अपनी पूर्ण होश व स्वतन्त्र मन-बुद्धि से स्वयं अपना में, बिना किसी अधिकार, बिना किसी दबाव बिना किसी लालच, अपनी समस्त मालिकाना अधिकारों सहित परिशिष्ट [क] में वर्णित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष-चौधरी सोहनराम सिंह भूखेश्वर एवं वैधानिक ट्रस्ट-जिसका प्रधान कार्यालय-ग्राम सोहराम सिंह चन्दौली जनपद सम्भल में है, के हित में दान की और सदैव के लिए दान की और द्वितीय पक्ष/दान गृहीता उपरोक्त ने मेरे द्वारा दान में दी गयी परिशिष्ट [क] में वर्णित सम्पत्ति को खुशी से अपने उपरोक्त संचालक-श्री सोहन यादव, दान स्वरूप स्वीकार कर लिया ।

मुझ प्रथम पक्ष-श्रीमती सरोजदेवी ने, आज से दान में दी गयी सम्पत्ति से अपना कब्जा एवं मालिकाना सदैव के लिए हटा लिया और दान में दी गयी सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष/दान गृहीता संस्था के संचालक उपरोक्त, अपने समस्त पूर्ण रूप से सहज स्वामी रूप से कब्जा व दखील कर लिया और समस्त मालिकाना अधिकार सदैव सदैव के लिए द्वितीय पक्ष/दान गृहीता के हित में सौंप दिये। इस प्रकार दान में दी गयी सम्पत्ति का समस्त मालिकाना अधिकार एवं अधिपत्य द्वितीय पक्ष के हित में परिवर्तित होकर अब परिशिष्ट [क] में वर्णित सम्पत्ति का पूर्ण रूपेण मालिक कब्जा व दखील द्वितीय पक्ष/दानगृहीता संस्था है। अब द्वितीय पक्ष परिशिष्ट [क] में वर्णित सम्पत्ति को सरकारी अभिलेखों में अपने नाम चढ़वाने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। द्वितीय पक्ष चाहेगा अपने सरकारी अभिलेखों में अपने नाम चढ़वाने का लेवें। इस सम्पूर्ण सम्पत्ति का अपने जीवन काल में तथा बाद मेरे मेरे उत्तराधिकारियों का परिशिष्ट [क] वर्णित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध व हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं रहा और न होगा। दान के बाद वर्तमान में या मेरे उत्तराधिकारी या स्थानान्तरण किसी प्रकार का दावेदार परिशिष्ट [क] में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कभी भी वाद प्रवाद मुकदमा व न्यायालय व गैर कानूनी होगी और किसी भी दशा में मान्य

[दाता/निष्पादक प्रकाश]

[दाता/निष्पादक सोहनराम]

Scanned by CamScanner

19/11/14

19-11-14

19-11-14

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 455090

[3]

मैं बायीं ओर पूरा दृष्टव्य की चिरस्थायी प्रतिलिपि होगी ।

:: रिपोर्ट पीठासीन[6] ::

रिट्रेल अधिकारी द्वारा दिया मुख-रिपोर्ट बाबी तहसील सन्दौली जनपद सम्भल की
यह रिपोर्ट है कि यह सड़क जहा आबादी से दूर सामान्य भूमि है:-
तीन पक्ष रिकार्डकीपर मनोहर सम्भल प्राप्त करी के रिपोर्ट में अनुसार:- मान-1 पृष्ठ-1
[मि-पृष्ठीय लेख] के पृष्ठ-22 क्रमांक-156 पर आराजी गाटा सं0[1/33] के पृष्ठ-4 के
पृष्ठ-27 पर-20 बाग लगने प्रति हेक्टेयर सामान्य भूमि की दर है-

खाता सं0	गाटा सं0	रकबा	सं0
00563	216 दो सौ सोलह	0.0810 हेक्टेयर	खानी-3+10मैटे

सम्पूर्ण भूमि की मालिक हूँ मैंने अपनी उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि हिदायत खा से लिया है
दान की है जिसमें 200मीटर तक की त्रिज्या का नक्शा करी निम्न प्रकार है:-

:: नक्शा नजरी ::

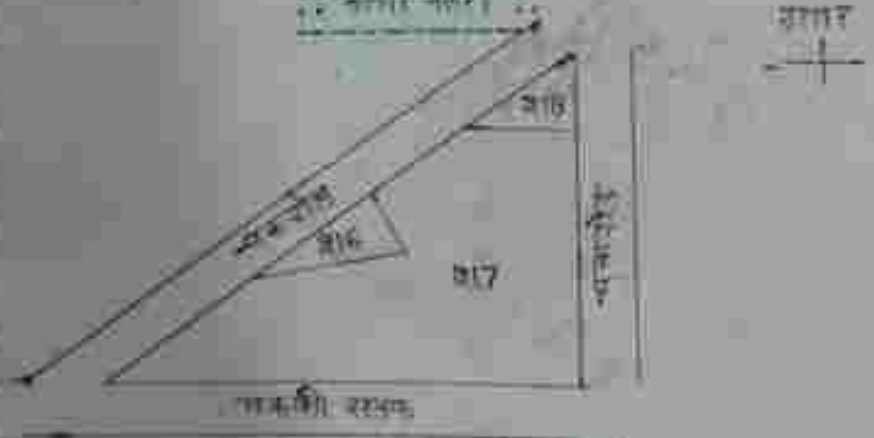

[उप/निदेशक पुरातत्व]

[उप/निदेशक पुरातत्व]

[illegible] हरिनाराम पिता [illegible] उम्र
[illegible] निवासी [illegible]
गोदाम [illegible] चौकी [illegible]
[illegible] जी [illegible]
[illegible] थाना [illegible] की [illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 455031

[शर्तें]

पंजीकृत[ब] में प्रस्तुतीकरण प्रपत्रों को सरकारी मालिया विभागीय दरों महारेरा द्वारा तारी रेट जिस के अनुसार-20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 162,000/-रुपये होता है जिस पर केवल स्टाम्प-50/-रुपये प्रति लाख की दर से 8100/-रुपये का अदा किया गया है।

प्रस्तुतीकरण प्रपत्रों में कोई पेड़,वृक्ष,फल वाले,औषधि वाले वृक्ष प्रति के पूर्व पर/प्रतिबन्धों अनुसूचित वादि के अन्तर्गत नहीं आता है।प्रपत्रों में कोई,कब्रिस्तान तथा सार्वजनिक प्रयोजन की सम्पत्ति नहीं है।

[हस्ताक्षर पुनर्विक्रेता]

[हस्ताक्षर पुनर्क्रेता]

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [5] OE 136385

अतः मुझ प्रकम्पक ने भली प्रकार सोच व समझकर सब शर्तों को सरल भाषा में अपनी स्वेच्छा से यह दान विलेख द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

[ह0/निष्पादक प्रकम्पक] [ह0/निष्पादित विलेखपत्र]

दस्तावेज हमारे सामने हमारे नाम से लिखे गये हैं हमने इस दस्तावेज को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया है।

गवाह-वीर कुमार पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी रामपुर तहसील सन्दौली जनपद सम्भल।

ह0

गवाह-बलराम शर्मा एडवोकेट, तहसील परिसर सन्दौली।

ह0

आज दिनांक 12-11-2014 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार सन्दौली में यह दान विलेख श्री बलराम शर्मा एडवोकेट सन्दौली के निर्देशन में गोशुद्धि के हेतु लिखा।

12-11-14

Scanned by CamScanner

[illegible]

19/11/14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24/11/14

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 423104

:: ज्ञापन ::

हस्तान्तरण शुल्क- 26,01,000/-रु0
स्टाम्प शुल्क- 1,30,050/-रु0
मूल्य- [illegible]

आज दिनांक-19.11.201[illegible] को [illegible] में यह दान विलेख-[illegible] पाण्डेय पुत्र [illegible] पाण्डेय व [illegible] पाण्डेय पुत्री [illegible] निवासी ग्राम-[illegible] जिला [illegible] के पक्ष में [illegible] के द्वारा [illegible] के पक्ष में [illegible] के द्वारा निष्पादित किया गया।

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 423103

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

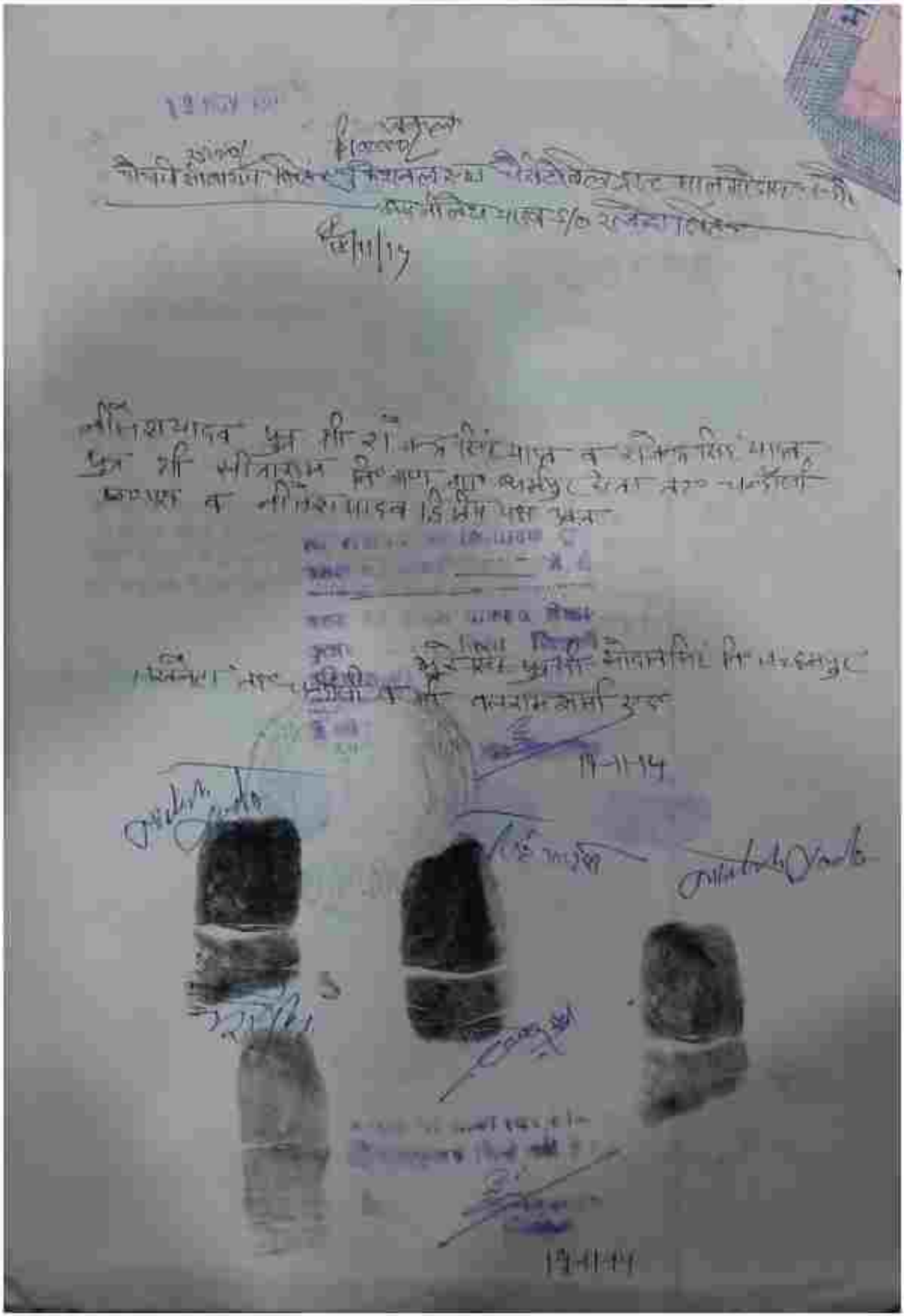

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 423102

[3]

[illegible] 2014

[illegible] पक्ष [illegible] ट्रस्ट को उद्देश्य [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 423101

2017

[4]

अतः इस दान विलेख के द्वारा यह तहरीर करनेवाले हैं कि अपने भाई पुत्रगण सोव
म लखनदास को हिन्दू-यों की स्वयं अर्जित, बिना कोई अधिकार, टीका अथवा बिना दुरभिसं
धि, आदि समस्त मालिकाना अधिकारों सहित भेंट किया[6] मैं औपचारिक कार्यवाही
विलेख यह-" चौधरी सीताराम सिंह पुत्रगण श्री [illegible] पुत्र- जिला मुख्यालय
कार्यालय भारत मीडिया सेल चन्दौसी लखनऊ चन्दौसी लखनऊ [illegible] है, के पिता के दान
की ओर संदर्भ के लिए लखनऊ की ओर विलेख/दानपत्रिका प्रस्तुत में स्थानांतरण
दान में दी गयी है[6] मैं औपचारिक कार्यवाही जिसे अपने सीधे अपरोक्ष-
नहीं प्रदत्त, दान स्वयं स्वीकार कर लिया।

[हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता] [हस्ताक्षर निष्पादित पक्ष की ओर से सीताराम सिंह]

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157633

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157650

{{6}}

अब पक्षकार{क} में अचलित सम्पत्ति का पूर्ण मालिक पितृ पक्ष/ दान ग्रहीता होगा। अब पितृ पक्ष/ दान ग्रहीता पक्षकार{क} में अचलित सम्पत्ति को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम इन्द्राज कराने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। पितृ पक्ष वाले स्वयं अपने संबंध राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का इन्द्राज करा लेंगे।

{पक्ष/विक्रय पक्षकार} {पक्ष/विक्रयाधिकारी की ओर से हस्ताक्षर सहित}

चौदहवी सीमाएँ तथा उ-प्रदेशों के उ-प्रदेशक

[illegible] सभी सीमाओं को स्वीकृत

[illegible] सीमाओं वाले [illegible] को स्वीकृति

[illegible] स्वीकृत किया

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157651

||2||

[illegible]

[illegible] [illegible]

पोस्टकी सीन कमीटी कुन्नूरकाम हेतु
जैसे रेजिस्ट्रर कार्यालयमा
[illegible] चौकी छ सम्मिल गरिएर
पाउन [illegible] गरिदिने बारे
[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157652

:: विक्रय पत्रिका ::

विक्रेता द्वारा ग्राम सभा ग्राम-सिलिया काजी तहसील सन्दीलाधनपट जनपद हरदोई के निवासी है जो आबादी से दूर है परन्तु सड़क से निकटतम :-

लेखपाल जिलाधिकारी महोदय सम्मत द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार भाग-1 पृष्ठ-1 [अ-कृषि क्षेत्र] के पृष्ठ-22 क्रमांक-156 पर अधिसूचित सी०कोड सं०[1133] के पृष्ठ-4 के पृष्ठ-57 पर ग्राम सिलिया काजी से सड़क के निकट आबादी की भूमि की दर-30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है।

खाता सं०	गाटा सं०	रकबा	हा०
00252	217 दो सौ सत्रह	1.1210 हेक्टेयर	काश्ती-47 आसैसे के कम

पृष्ठभाग सम्पूर्ण जो कि मालिक है जिसमें हमने 0.867 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के जरिये दिनांक के द्वारा दान में दी है। जैसे आबादी पर हम पुरुष गवाह का नाम लगाना चाहा रहेगा।

[पति/पिता पुरुषगवाह] [पति/पिता/पति/पिता की ओर से सहमति मुहर]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 157221

[१०१]

:: नक्शा नजरी ::

इस्तमरारी काश्तकार मोहर ... की स्थिति का मुआयना:-

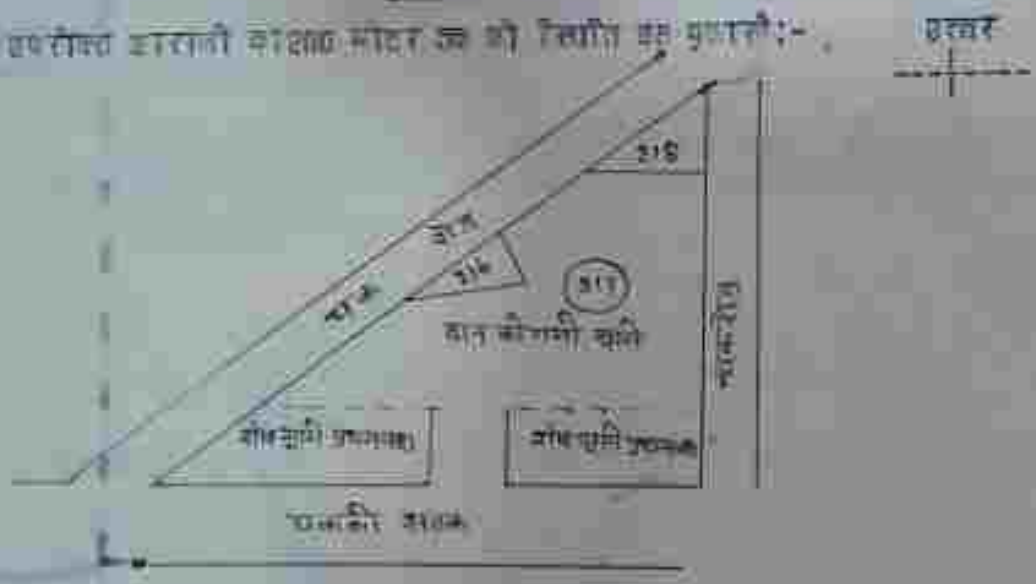

[हस्ताक्षर मुआयना कर्ता] [हस्ताक्षर मौजूदा काश्तकार की ओर से मौजूदा गवाह]

श्री सीताराम जी के उत्तराधिकारी
[illegible] के बिना [illegible]
[illegible] चन्द्रेश एवं सचिव नरेन्द्र
[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157222

[illegible]

[illegible] में [illegible] अरबली [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] के लिए [illegible] -[illegible] [illegible] [illegible] में-[illegible]/-रुपये होती है। [illegible] -50/-रुपये प्रति [illegible] की दर से-1,30,000/-रुपये [illegible] किया जाता है।

उपरोक्त अरबली [illegible] [illegible] [illegible]

मैंने निरीक्षण किये हुए प्रोजेक्ट को
प्रोटोकॉल कुछ मामूली संशोधन
के साथ वनाधिकार समिति
सर्वसम्मति से

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 795605

आज दिनांक 19.11.2014 को हम पुष्पमित्र ने मेरी पुत्रवधू श्रीमती [illegible] को साक्षी द्वारा में अपनी स्वेच्छा से बटवारा निर्णय द्वितीय पक्ष के पिता में निष्पादित करीबयानित तथा हमारे और समाज पर काम आवे।

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] उपरोक्त कागज पर उभयपक्षों के लिखे फोटो हम गवाहान बोलकर पढ़ कर सुनाया गया फिर पंचायत पन्दोसी द्वारा प्रमाणित है।

गवाह- शेष कुमार पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] तहसील पन्दोसी जनपद [illegible]।

ह0—

गवाह-[illegible] पुत्र [illegible], तहसील पीलीभीत पन्दोसी।

ह0—

आज दिनांक 19.11.2014 को हमारे [illegible] के यहां दान निर्णय की [illegible] पुत्र [illegible] पन्दोसी के निर्देशन में मोहर्रिर ने टंकित किया।

19.11.14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 157224

विक्रय-पत्र

बाजारी मूल्य- 1,38,000/=रु0 स्टाम्प शुल्क- 6,900/-रु0 फुटर-[07]

आज दिनांक-18-11-2014 को ग्राम पंचायत में एक पक्षीय- नीलेश यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम-कर्मपुर रसूल तहसील सन्दौली जनपद सम्भल, जिसको इस दस्तावेज में आगे-"प्रथम पक्ष/दावेदार" कहा गया है तथा- श्री चौधरी सोहन राम सिंह सुपुत्र स्व0 श्री सोहन, पुत्र-प्रधान कार्यालय-मालपुरा राम रोड, सन्दौसी तहसील सन्दौसी जिला सम्भल, द्वारा नीलेश यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम-कर्मपुर रसूल तहसील सन्दौसी जनपद सम्भल, जिसको इस दस्तावेज में आगे-"विक्रेता पक्ष/दान प्रदाता" कहा गया है, के मध्य निम्न प्रकार निष्पादित किया गया।

चूँकि मैं प्रथम पक्ष-इस दस्तावेज में वर्णित परिस्थितियों में अचल सम्पत्ति खरीदने का इच्छुक हूँ और विक्रेता श्री सोहन सिंह सन्दौसी जिला सम्भल का पूर्ण मालिकाना कब्जा व दखल है और हर तरह से पाक व साफ है जिसकी बिक्री की बात में हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार विक्रेता को है मुझे प्रथम पक्ष को प्राप्त है।

[प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर] [विक्रेता पक्ष की ओर से अधिकृत हस्ताक्षर]

Scanned by CamScanner

[illegible]

दोनपत्र 138 ००/-

1380 [illegible] 1400 [illegible]

नीलेश यादव [illegible]

[illegible]

14/11/014

14/11/014

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 455521

||2||

द्वितीय पक्ष-उपरोक्त ट्रस्ट का प्रतिनिधि, जो अपने संगठन की स्थापना के लिए जिन जिन कार्यों व प्रयास करने की अधिकृत होगी है, संगठन में वह सभी कार्य करवाने ।मैं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के उपदेशों में स्वयंसेवी प्रदान करने हेतु अपनी स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को यह दान विलेख में वर्णित परिसम्पत्ति[ओ] में उल्लिखित सम्पत्ति दानस्वरूप देना चाहता हूँ।

अतः मैं यह विलेख के द्वारा यह घोषित कराये देता हूँ कि मैंने भली प्रकार सोच व समझकर मन व इन्द्रियों को स्वस्थ दशा में, बिना किसी अधिकार, दिखावा अथवा किसी दुरभिसंधि से आदि समस्त कानूनी अधिकारों सहित परिसम्पत्ति[ओ] में उल्लिखित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष -"श्री हरि राम सिंह यदुवंशी पुत्र बैजनाथ ट्रस्ट-जिसका प्रधान कार्यालय ग्राम तोहाना रोड पन्दौली बाग सम्भल में है, के हित में दान की और सदैव के लिए त्याग की और द्वितीय पक्ष/दान ग्रहीता उपरोक्त ने मेरे द्वारा दान में दी गयी परिसम्पत्ति[ओ] में उल्लिखित सम्पत्ति को सादर अपने शीघ्र उपयोग-भोग पालन, दान स्वरूप स्वीकार कर लिया ।

[ह0/नि0अ0 प्रथमपक्ष]

[ह0/नि0अ0द्वितीयपक्ष की ओर से अधिकृत सचिव]

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 949 97

[§31]

मुक्त पुरुषगण -नीलेश प्रसाद ने,आज दि दान में दी गयी सम्पत्ति से अपना कब्जा एवं मालिकाना अधिकार के लिए वहां लिया और दान में दी गयी सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष/दान ग्रहीता की वर्तमान तथा उपरोक्त,अपने समस्त पूर्ण रूप से तथा स्वामी रूप से कब्जा व दखल करा दिया और उनका मालिकाना अधिकार तथा तौर के लिए द्वितीय पक्ष/दान ग्रहीता के हित में त्याग दिये। इस प्रकार दान में दी गयी सम्पत्ति का स्वामित्व,मालिकाना अधिकार तथा अधिकार द्वितीय पक्ष के हित में परिवर्तित हो गया। [अ परिशिष्ट[ब] में उल्लिखित सम्पत्ति का पूर्ण मालिक कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/ दान ग्रहीता होगा। [अ द्वितीयपक्ष परिशिष्ट[ब] में उल्लिखित सम्पत्ति को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम इन्द्राज कराने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। द्वितीय पक्ष स्वयं को अपने सीमित राजस्व अभिलेखों में अपने नाम इन्द्राज करा लेंगे। [अ मुक्त पुरुष गण का उपरोक्त दान कार्य में तथा बाद मेरे,मेरे उत्तराधिकारियों का परिशिष्ट[ब] में उल्लिखित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं था और न होगा।आज के बाद बाद में या मेरे उत्तराधिकारी या स्थानान्तरण परिशिष्ट[ब] में उल्लिखित सम्पत्ति से सम्बन्ध में किसी प्रकार की दावेदारी करते हैं तो वह सर्वथा गलत ,कपटपूर्ण व गैर कानूनी होगी और किसी भी दशा में मान्य न होगा और मुझ दूसरे पक्ष की निरस्त होने योग्य होगी।

[प्र०/नि०अ० पुरुषगण] [प्र०/नि०अ० द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिनिधि हस्ताक्षर]

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 136386

§[1]§

:: विषय परिशिष्ट[अ] ::

विषय ग्राम सभा की भूमि ग्राम-सिवैटा तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल
जो कि विभागीय पत्रावली में की सड़क तथा आबादी से दूर सामान्य भूमि है:-
सीमान्त जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा आदेश के विरुद्ध अनुसार-भाग-1 पृष्ठ-1
[नि-मु-वि शो] के पृष्ठ-22 क्रमांक-156 पर अंकित [शो+कोड 00[1133]] के पृष्ठ-1
के पृष्ठ-57 पर सामान्य भूमि की दर-20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है।

खसरा सं0	गाटा सं0	रकबा	ह0
0074	218 दोसौ अठारह	0.0690 हेक्टेयर	आना-2.60 मीटर हो, मैं

प्रार्थना सम्पूर्ण भूमि का मालिक हूँ। मैंने अपनी अपरोक्त दर्शित सम्पूर्ण भूमि विकास
पथ के हित में दानकी है। जिसकी 2000मीटर तक की स्थिति आसन्न नक्शे निम्न है:-

:: नक्शा नजरी ::

[ग0/निवेदक हस्ताक्षर] [ख0/निवेदक/शिष्टाचार पैसे को पूरे से सत्यापित करेंगे]

[illegible] हिंदू [illegible] के

19/11/19 [illegible] के [illegible] सकते

[illegible] 1 kg [illegible] रोग [illegible] की

[illegible] आयु [illegible] हो

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 136388

20 OCT 2014

[1581]

[illegible] में औसतीकृत कराकर की सरकारी मूल्यांकन जिलाधिकारी महोदय [illegible] द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार-20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1,30,000/-रुपये बनती है। जिस पर मुद्रांक स्टाम्प-50/-रुपये प्रति हजार की दर से -6500/-रुपये [illegible] लगाया गया है।

[illegible] | [illegible] जिलाधिकारी की ओर से [illegible]

श्री सीताराम सिंह द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु

19/11/14

पेटियोलिक इंस्टीट्यूट

ऐसे चयनित छात्र सम्बन्धित

कोर्स में प्रवेश हेतु संस्तुति

की अनुशंसा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CE 136390

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[7]

अतः मुझ प्रार्थना ने सही प्रकार तौल [illegible] मन हस्तिनापुरी स्वयं प्रसन्न अपनी इच्छा से दान विलेख द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

[illegible] प्रार्थना [illegible] की ओर से [illegible]

प्रस्तावित दान पत्र उपरोक्त के लिखे कोरे सम [illegible] मेरा [illegible] एडवोकेट बन्दौली द्वारा प्रमाणित।

नवाब- शेर कुमार पुत्र [illegible] निवासी [illegible] तहसील बन्दौली जनपद [illegible]।

ह०---

नवाब-[illegible] एडवोकेट तहसील व० [illegible]।

ह०---

आज दिनांक 19-11-2014 को [illegible] बन्दौली में यह दान विलेख श्री [illegible] एडवोकेट बन्दौली के निर्देशन में सीलसुदा [illegible] किया।

19-11-14

[illegible]

19/11/19

[illegible]

[illegible] 858

[illegible]

[illegible]

19/11/19

Scanned by CamScanner

(9)

[illegible]

[illegible] 21/12/14

न्यायालय [illegible] चन्दौसी

वाद सं० T-0M13-74-44-290 धारा 143 [illegible]

ग्राम [illegible] तह० चन्दौसी

[illegible] सीताराम [illegible] [illegible]

बनाम

सरकार

(धारा 4 [illegible])

Scanned by CamScanner

प्रबन्धक
माया देवी सीता राम डिग्री कालेज
[illegible] काजी तह० चन्दौसी (सम्भल)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपजिलाधिकारी, चन्दौसी

वाद संख्या–201413/044280 अन्तर्गत धारा 143–उ0प्र0 ज0नि0
एवं भूमि व0 अधि0 1950

श्री नीतेश यादव , सचिव/प्रबन्धक
चौ0 सीताराम सिंह एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट
ग्राम सरकार,
ग्राम बिर्चटाकाजी
चन्दौसी, जनपद सम्भल।

निर्णय

एक प्रार्थना पत्र श्री नीतेश यादव सचिव/ प्रबन्धक चौ0 सीताराम सिंह एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय मालू सोदाग रोड चन्दौसी, तहसील चन्दौसी, जिला सम्भल द्वारा दिनांक 29.12.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बिर्चटाकाजी, तहसील चन्दौसी स्थित भूमि गाटा संख्या–216 क्षेत्रफल 0.081 हे0 गाटा संख्या–218 क्षेत्रफल 0.069 हे0 व गाटा संख्या–217 क्षेत्रफल 0.867 हे0 भूमि के स्वामी हैं। इस भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा यह इस भूमि पर महा विद्यालय बनाना चाहते हैं जिस कारण वह उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित कराना चाहते हैं।

इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, चन्दौसी से जाँच कराई है। तहसीलदार, चन्दौसी की जाँचआख्या दिनांक 29.12.2014 प्राप्त हुई है जिसमें लिखा गया है कि प्रार्थी सीताराम सिंह एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय मालू सोदाग रोड चन्दौसी द्वारा सचिव नीतेश यादव पुत्र कलेन्द्र सिंह यादव निवासी धर्मपुरवाला ग्राम बिर्चटा काजी स्थित भूमि गाटा संख्या–216 क्षेत्रफल 0.081 हे0, गाटा संख्या–218 क्षेत्रफल 0.069 हे0 एवं गाटा संख्या–217 क्षेत्रफल 0.867 हे0 के संकलनीय भूमिधर हैं। उक्त भूमि अकृषकयोग्य कृषि, बागवानी, पशुपालन जिसकी अन्यत्र कृषकूट पालन भी है, शैक्षिक प्रयोजन के लिए हो रहा है। खातेदारों द्वारा इस आराजी पर उपगोग आवासीय/शैक्षिक प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है। भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा आगामी करना चाहते हैं। इस–

जारी–2

Scanned by CamScanner

प्रबन्धक
माया देवी सीता राम डिग्री कालेज
बिर्चटा काजी तह0 चन्दौसी (सम्भल)

Scanned with CamScanner

आधार पर तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 29.12.2014 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्य का अध्ययन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरगत भूमि के उद्धरण खसरा वर्ष 1422 फसली एवं भूमि की जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। उद्धरण खसरा में मजरी जमाबन्दी के अनुसार भूमि में आबादी है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार प्रकरगत भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार, चन्दौसी की संस्तुति दिनांक 29.12.2014 के आधार पर ग्राम विवेटा काजी स्थित भूमि गाटा संख्या-216 क्षेत्रफल 0.041 है0 भूराजस्व 2.00 रु0 गाटा संख्या-218 क्षेत्रफल 0.069 है0 भूराजस्व 2.60 रु0 एवं गाटा संख्या-217 क्षेत्रफल 0.807 है0 भूराजस्व 23.95 रु0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भूराजस्व समाप्त किया जाता है। तद्नुसार खतौनी अनुरक्षण अधिकारी हो।

दिनांक-31.12.2014

(सुरेन्द्र बहादुर यादव)
उप जिलाधिकारी,
चन्दौसी।

उपर्युक्त निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.12.2014 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक-31.12.2014

(सुरेन्द्र बहादुर यादव)
उप जिलाधिकारी,
चन्दौसी।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी
चन्दौसी

प्रबन्धक
माया देवी सीता राम डिग्री कालेज
विवेटा काजी तह0 चन्दौसी (सम्भल)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

उद्धरण खतौनी

ग्राम कमांक : 116248 ग्राम का नाम / पारगना : निवेदा कलाँ(चन्दौसी) तहसील : चन्दौसी जनपद : सम्भल खतौनी वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

मुद्रण क्रमांक : 11024820200010

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	गतिशील सम्बन्धी जहाँ या उसका संक्षेप उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और जहाँ होने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-ग / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी मेजरिटी में हो।							
00126	चौधरी दीनाराम सिंह(तहसीलदार एवं पैरोकार) / पुत्र / नि.ग्राम दूसरा प्रथम खातेदार राम गोपाल रोड चन्दौसी / पुत्र / नि.ग्राम जनपद सम्भल द्वारा सचिव नीरज यादव / पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव / नि.ग्राम कोर्ट रवा का	¶1399क 4	216	0.0810		न्यायालय उपजिलाधिकारी चन्दौसी वाद सं.टी-201413740442900आदेश पत्र 143/2040 सिटपत्र भूमि अ0नं0 1950 की नीरज यादव सचिव प्रबन्धक चौधरीदीनाराम सिंह तहसीलदार एवं पैरोकार द्वारा जनपद सम्भल तथा निवेदा कलाँ चन्दौसी जनपद सम्भल से आदेश दि.31.12.14को मुक्त कि गए निवेदा कलाँ प्रथम भूमि गाटा सं.216क्षेत्रफल 0.081 हे0मूल्यमान 3.10रुपये को अमृतसिंह भूमि मोचित करते हुए मूल्यमान समाप्त किए जाने के आदेश 31.12.14	
		1	0.0810	3.10	2		0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एकानवे दशमलव शून्य आठ एक शून्य (हेक्टेयर) कुल मू.राजस्व - तीन रुपयाँ एक शून्य मात्र

Data Digitally Signed by: RAM PAL SHARMA

SATISH YADAV

दिनांक एवं समय 06-01-2020 12:36:39

यह उद्धरण खतौनी अभिलेख विभाग द्वारा निर्गत की गयी है तथा यह विधिमान्य प्रमाण हेतु मान्य है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in Website से भी प्राप्त किया जा सकता है।

06-01-2020

तहसीलदार चन्दौसी

भूलेख कार्यालय भूलेख प्रभारी तहसील-चन्दौसी

Scanned with CamScanner

अनुपूरक खतौनी

अनुपूरक क्रमांक : 1 [illegible]

ग्राम क्रमांक : 116248 ग्राम का नाम / मजरा : [illegible] (नदौली) तहसील : [illegible] जनपद : [illegible] खतौनी सं. : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खेत का क्षेत्रफल, प्रत्येक खेत का नाम	खाते में प्रत्येक खेत की संख्या संख्या	प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय धनराशियों का विवरण	पारित आदेश संख्या, तारीख व उसका आदेश जिसके द्वारा खाता संख्या तथा विलेख संख्या और उसमें देय धनराशियों का योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7/12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो राजस्वीय भूमियों के अधिकार के थी।							
00248	[illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible]	1390	217	1.1210		श्रीमान [illegible] के आदेश दि.01.02.14के अनुसार [illegible] 2.19.0004[illegible] 252वी भूमि [illegible] मी. ई. [illegible] के.07.02.14 श्रीमान [illegible] के आदेश दि.22.12.14के अनुसार [illegible] 2.19.0004[illegible] 252वी भूमि [illegible] मी. ई. [illegible] के.22.12.14 [illegible] 856/14/ 24.12.14[illegible] 252[illegible] 217/ 1.121[illegible] 47.68[illegible] 0.867 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दि.19.11.14[illegible] 40[illegible] [illegible] के.24.12.14 [illegible] 20141374044250[illegible] 143390[illegible] [illegible] 1950 [illegible] [illegible] [illegible] के आदेश दि.31.12.14 [illegible] 217[illegible] 0.867[illegible] [illegible] [illegible] के.31.12.14 [illegible] 20141374044253[illegible] 175320[illegible] [illegible] 1950 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Scanned with CamScanner

उद्धरण-खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 11024820200119

क्रम संख्या	11/248	ग्राम का नाम / परगना / तिकोना कस्बा(नन्दौसी)	तहसील : नन्दौसी	जनपद : हरदोई	खतौनी वर्ष : 1426-1431	भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता गति काश्तकार का नाम / निवास स्थान	चौथाई अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खेतों के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	आकारित हुआ देय लगान/भाग का लगान	परिवर्तन लगानदारी अदा या उसका जाने उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और जाता देने वाले अधिकारी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
						आदेश दि.03.01.15को हुआ कि ग्राम सिकेटा नन्दौसी ज0नन्दौसी स्थित भूमि गाटा सं.217/2क्षेत्रफल 0.867 हे0आराजी 37ए0चौथाई सीमाम्ल मिश्र एकमेकमल एवं वैरिटेमिल ट्रस्ट मार्ग मोहल्ला रोड नन्दौसी का, भूमि गाटा सं.217/1क्षेत्रफल 0.2540हे0आराजी 10.65पैसे पर श्री दीनेश चन्द्र पुत्र राकेन्द्र मिश्र आदेश के श्री राकेन्द्र मिश्र आदेश पुत्र सीताराम नायक नि.ग्राम ग्राम अर्जुपुर रास का नाम अंकित किया गया द.ना.दि.08.01.15 आदेश संशोधन करने न्यायालय कलेक्टर हरदोई का सं0 टी0 201913740404324/30/07/19 को हुआ कि खाता सं0 248 के गाटा सं0 217/1/0.2540हे0 क्षेत्रफल 10.65पैसे के सम्पूर्ण अंश से ए0चौथाई दीनेश चन्द्र पुत्र राकेन्द्र मिश्र आदेश के राकेन्द्र मिश्र आदेश पुत्र सीताराम नायक निवासी अर्जुपुर रास का नाम खारिज करके उसके स्थान पर ए0चौथाई चौथाई सीताराम मिश्र एकमेकमल एवं वैरिटेमिल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय मार्ग मोहल्ला रोड नन्दौसी तह0नन्दौसी जिला हरदोई द्वारा अंकित दीनेश आदेश पुत्र राकेन्द्र मिश्र निवासी अर्जुपुर रास ज0नन्दौसी का नाम हुआ विलेख सं0 9212/19 दि0 24/06/19 के स्थान पर अंकित ए0पुरर्ज दी0 ई0क0040 30/07/19 न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय नन्दौसी का सं0 टी0 201913740405503 चौथाई सीमाम्ल मिश्र एकमेकमल एवं वैरिटेमिल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय मार्ग मोहल्ला रोड नन्दौसी कस्बा तहसील नन्दौसी धारा 50 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद 2006 में आदेश दि0 24/09/19 को हुआ कि उपजिलाधिकारी नन्दौसी की आख्या आदेश दि0 10/09/19 के स्थान पर ग्राम सिकेटा कानूनी सिकेटा भूमि खाता सं0 248 के गाटा सं0 217/1 क्षेत्रफल 0.2540हे0 आराजी 10.65पैसे को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भूमाफिया दर्ज किया जाता है। ह0/अस्पष्ट 26/09/19	
		1	1.1210	47.88	11	06-01-2020	

तहसीलदार, नन्दौसी

भूलेख प्रभारी तहसील-नन्दौसी

मुद्रण तारीख-समय : मुद्रण प्रेक्षक- एक सामान्य तथा दो एक मुद्रण (विवरण) मुद्रण मूल्यांकन - [illegible]

Date Digitally Signed by: SATISH YADAV

उपरोक्त उद्धरण खतौनी ev Abhilekh [illegible] Website पर अपलोड किया गया है।

मुद्रण अधिकारी: SATISH YADAV
तहसील: नन्दौसी जनपद: हरदोई
Date & time: 06-01-2020 12:06:52
यह मूल खतौनी इलेक्ट्रॉनिक Certified Copy [illegible]

Scanned with CamScanner

गुदरण खतौनी

खाता संख्या : 110246 खाता का नाम / खाता : [illegible] तहसील : चन्दौली जनपद : वाराणसी फसली वर्ष : 1428-1431 पृष्ठ : 1

मूल खाता : 110246370200111

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	पैतृक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	प्राप्ति के प्रकोष्ठ गाटे की संख्या / क्षेत्रफल	प्रकोष्ठ गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी तारीख तथा दिनांक अंकित करने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 2 / भूमि जो आजीवन भूमिधरी किसानिक है तो।							
00749	नीरज यादव / पुत्र राजेन्द्र सिंह / नि. ग्राम [illegible]	1484	218	0.0690		नीरज खातेदार गोहार चन्दौली के आदेश दि.01.02.14के अनुसार से बाद प्रकाशन बैक डेट बाद बैकी के अनुसार नीरज यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह ने 2,10,000रुपया मात्र लेकर खाता 741की भूमि बाद आजमी तक बयनामा कीए.अ.के.07.02.14 नीरज खातेदार गोहार चन्दौली के आदेश दि.22.12.14के अनुसार से बाद प्रकाशन प्रथम बैक डेट बाद बैकी द्वारा दिये गये मत मुताबिक प्रथम पक्ष के अनुसार नीरज यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह ने 2,10,000रुपया मात्र खाता 741की भूमि बाद मत से कुल कीए.अ.के.22.12.14 आदेशानुसार नीरज खातेदार कोटा द्वारा पत्र 23 दि.22.12.14को आदेश द्वारा कि खाता विवेक बाकी के खाता सं.741गा. अंकित भूमि को श्रेणी 2 आजीवनी भूमिधर के स्थान पर श्रेणी 1म श्रेणीवत भूमिधर दर्ज की जाती है।ए.अ.के.24.12.14 आदेश नीरज यादव खातेदार चन्दौली गया सं.858/14/ 24.12.14को द्वारा कि खाता सं.741के गाटा 0.218/ 0.0690हेक्टेयर 2.60मि के अपने पुत्र के नाम से हस्तान्तरण नीरज यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह पता नि. ग्राम धर्मपुर [illegible] का नाम खारिज करके उसके स्थान पर हस्तान्तरित चौथी श्रेणीवत सिंह एडुकेशनल ट्रस्ट पंजीकृत दान प्रपत्र कार्यालय सब रजिस्ट्रार चन्दौली बनाम सम्बन्ध द्वारा सहित नीरज यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव नि.ग्राम धर्मपुर [illegible] का नाम चन्दौली दानकर्ता दि.19.11.14के अनुसार मय बैकी [illegible] बैक डेट ए.अ.के.24.12.14 न्यायालय उपजिलाधिकारी चन्दौली वाद सं.सी-2014137404290नामांतरण धारा 143/[illegible] के भूमि [illegible] 1950 श्री नीरज यादव [illegible] के [illegible] सिंह एडुकेशनल ट्रस्ट पंजीकृत [illegible] खाता विवेक बाकी चन्दौली बनाम सम्बन्ध में आदेश दि.31.12.14 यही दर्ज कि खाता विवेक बाकी स्थित भूमि गाटा सं. 218क्षेत्रफल 0.0690हेक्टेयर क्षेत्रफल 2.60मि की अधिक भूमि नीरज यादव [illegible] किया गया है।ए.अ.के.31.12.14	

Scanned with CamScanner

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1162

: 116240 ग्राम का नाम / परगना : निपेटा बाजी(चन्दौसी) तहसील : चन्दौसी जनपद : सम्भल फसली वर्ष : 1420-1431 भाग : 1

खतौनी संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	पैतृक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी का खाता	भू-धारण सम्बन्धी अदा का उसका खाता उसकी संख्या तथा तिथि सहित और अदा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
	2	3	4	5	6	7-12	13
			1	0.0690	2.60	7	0

कुल गाटे- संख्या कुल क्षेत्रफल- शून्य हेक्टेयर शून्य वा. मी. शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो हजारसाठ रु. शून्य मात्र

Data Digitally Signed by: RAM PAL SHARMA

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in Website पर अवलोकन किया जा सकता है।

ग्राम अधिकारी: SATISH YADAV
तहसील: चन्दौसी जनपद: सम्भल
दिनांक एवं समय: 06-01-2020 12:37:58
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा हस्ताक्षरित है तथा इसका डिजिटल स्वरूप ही मान्य है।

06-01-2020

तहसीलदार
चन्दौसी

भूलेख कार्यालय
भूलेख प्रभारी
तहसील-चन्दौसी

Scanned with CamScanner